चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे को मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह व उनकी टीम द्वारा नाबालिक को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर बलात्कार के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.02.2026 को एक वादी द्वारा थाना बरगढ़ में सूचना दी गयी कि अभियुक्त राकेश कुमार चौहान उर्फ संतोष पुत्र स्व0 लल्लू द्वारा वादी की पुत्री उम्र 13 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाना । इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 13/26 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

दिनाँक 07.04.2026 को उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राकेश कुमार चौहान उर्फ संतोष पुत्र स्व0 लल्लू को गौशाला के पास हरदीकलां थाना बरगढ़ से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के क्रम में माननीय न्यायालय के समक्ष पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस व पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम होने के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह चौकी प्रभारी हरदीकलॉ

2.मु0आ0 राममोहन

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सि0जज0सी0डि0(एफटीसी) श्री अश्विनी उपाध्याय द्वारा दिनाँक 07.04.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 104/19 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त कैलाश कुमार निषाद पुत्र स्व0 गंगादीन निवासी पाण्डेय कॉलोनी जगदीशगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

(4). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा आज दिनांक 08.04.2026 को थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 60/2019 धारा 147,341,332,504,506 भादवि0 व 7 सीएलए के आरोपी अभियुक्त 1. शब्बीर उर्फ बीरु पुत्र रफीक खाँ 2. मो0 नसीम खाँ उर्फ झल्लर पुत्र रफीक खाँ 3.राजाबाबू उर्फ मो0 खुर्शीद पुत्र यासीन 4. छोटकइया उर्फ जन्नतुन पत्नी शब्बीर 5. रन्नो बानो पत्नी नफीस 6.खलीकुनिशा पत्नी रफीक 7. सीमा बानो पत्नी बब्बू राजा उर्फ खुर्शीद को जेल में बिताई गई अवधि व कुल 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।